

जुलाई 2021

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **संसद**
 - संसद का मानसून सत्र 2021
- **कोविड-19**
 - आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
 - अप्रैल-जून तमिही में खुदरा मुद्रास्फीति
- **वित्त**
 - अनुपूरक बजट
 - फ़ैक्टरिंग वनियमन (संशोधन) अधियक, 2021
 - दवाला और दवालयिापन संहति (संशोधन) अधियक, 2021
 - जमा बीमा और ऋण गारंटी नगिम (संशोधन) अधियक, 2021
 - सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधियक, 2021
 - सीमति देयता भागीदारी (संशोधन) अधियक, 2021
 - रटिल डायरेक्ट योजना
- **परविहन**
 - सामुद्रकि सहायता अधियक 2021
 - भारतीय वमिनपत्तन आर्थकि नयामक प्राधकिरण (AERA) संशोधन अधियक, 2021
 - अंतरदेशीय पोत अधियक, 2021
 - भारतीय पोत परविहन (Shipping) कंनयिों हेतु सब्सिडी योजना
- **महलिा एवं बाल वकिास**
 - कशिोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधियक, 2021
- **कृषि**
 - नारयिल वकिास बोर्ड (संशोधन) अधियक, 2021
 - पशुधन क्षेत्र पैकेज
- **रकषा**
 - आवश्यक रकषा सेवा अधियक, 2021
- **परयावरण**
 - वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग
- **वधिर्िवं नयाय**
 - अधकिरण सुधार अधयादेश, 2021
 - 97वें संशोधन के प्रावधान रद्द
 - न्यायपालकिा के लयि अवसंरचनात्मक सुवधिाएँ
- **MSME**
 - खुदरा और थोक व्यापार
- **शकिषा**
 - OBC और EWS के लयि आरक्षण
 - सार्वभौमकि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासलि करने हेतु राष्ट्रीय मशिण
 - अकादमकि बैंक के लयि वनियम
- **नवीन और अकषय ऊर्जा**
 - भारत में अकषय ऊर्जा एकीकरण पर नीतिआयोग की रपिर्ट

संसद का मानसून सत्र 2021

19 जुलाई, 2021 से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। सत्र के दौरान 19 दिनों बैठकें होंगी और यह 13 अगस्त, 2021 को समाप्त होगा।

और पढ़ें

कोवडि-19

आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोवडि-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की है। पहले चरण की योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल पर ध्यान देने के साथ-साथ कोवडि-19 की शीघ्र पहचान, रोकथाम और प्रबंधन के लिये स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है।

और पढ़ें

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

अप्रैल-जून तमिही में खुदरा मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के 4.2% से बढ़कर जून 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में 6.3% हो गई। CPI खुदरा सत्र पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। CPI बास्केट में आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ जैसे- खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल होती हैं। CPI बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों की हिससेदारी 46% है। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के 1.9% से बढ़कर जून 2021 में 5.2% हो गई।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के 10.7% से बढ़कर जून 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में 12.1% हो गई। WPI लेनदेन के प्रारंभिक चरण में थोक बिक्री के लिये वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है।

वित्त

अनुपूरक बजट

वर्ष 2021-22 के लिये पहली अनुपूरक अनुदान मांगों (DFG) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। अनुपूरक DFG में 23,675 करोड़ रुपए की नकद राशा में वृद्धि का प्रस्ताव है जिसमें वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान (34,83,236 करोड़ रुपए) की तुलना में व्यय में 0.7% की वृद्धि है। यह अतिरिक्त राशि विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। इन क्षेत्रों में नमिन्लखित शामिल हैं:

- कोवडि-19:** कोवडि-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज पर 15,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पैकेज का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना है। इस धनराशि का उपयोग वेतन, अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों को अनुदान, चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिये किया जाएगा। कुल राशि में से 12,207 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दिये जाएंगे। पैकेज के अतिरिक्त महामारी की आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया में होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद** (ICMR) को 526 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- बीमा:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कोवडि-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को बीमा कवर (प्रतिव्यक्ति 50 लाख रुपए तक) प्रदान करने में 714 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
- एयर इंडिया को ऋण:** एयर इंडिया को ऋण के रूप में 1,872 करोड़ रुपए दिये जाएंगे (आकस्मिक नधि से एयर इंडिया को प्रदान किये गए ऋणों और अग्रिमों के पुनर्भुगतान के माध्यम से)।
- ब्याज से छूट:** वर्ष 2020-21 में ऋण अधस्थिगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं के बकाया चक्रवृद्धि ब्याज (यानी, ब्याज पर ब्याज) की छूट के लिये 1,750 करोड़ रुपए खर्च किये जाने का अनुमान है।

अनुपूरक DFG में 23,675 करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय के अतिरिक्त 1,63,527 करोड़ रुपए के सकल व्यय को भी मंजूरी दी गई थी। इस सकल व्यय के लिये समेकित नधि से किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होती है और इसे सरकार द्वारा अपनी बचत या बढ़े हुए राजस्व तथा वसूली के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सकल व्यय के 97% (यानी, 1,59,000 करोड़ रुपए) का उपयोग वर्ष 2021-22 के लिये GST कषतपूरति अनुदान के बदले राज्यों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने हेतु किया जाएगा। राज्यों को ऋण इसलिये प्रदान किया जा रहा है क्योंकि GST कषतपूरति उपकर संग्रह राज्यों की मुआवजे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त होगा।

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। [ippppatw](#) से सितंबर 2020 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह अधिनियम 'फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011' में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं।

[और पढ़ें](#)

दवाला और दवालयीपन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021

दवाला और दवालयीपन संहिता (संशोधन अधिनियम), 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम [दवाला और दवालयीपन संहिता](#), 2016 में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम [Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill] 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया है। अधिनियम जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

सीमति देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021

सीमति देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। अधिनियम सीमति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। अधिनियम सीमति देयता भागीदारी ((Limited Liability Partnership) के रेगुलेशन का प्रावधान करता है।

[और पढ़ें](#)

रीटेल डायरेक्ट योजना

[भारतीय रिज़र्व बैंक](#) (RBI) ने 'आरबीआई रीटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की है। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन-स्टॉप समाधान है।

[और पढ़ें](#)

परविहन

सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021

नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने इस अधिनियम को मार्च 2021 में पारित कर दिया था।

[और पढ़ें](#)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन अधिनियम, 2021

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन अधिनियम, 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम, भारतीय

वर्मानततन आरुथकि नयामक प्ररधकिरण अधनियम, 2008 में संशोधन प्रस्तावति करता है ।

[और पढ़ें](#)

अंतरदेशीय पोत वधियक, 2021

अंतरदेशीय पोत वधियक (Inland Vessels Bill), 2021 को लोकसभा में पेश कयिा गया । यह अंतरदेशीय पोत अधनियम, 1917 का स्थान लेता है ।

[और पढ़ें](#)

भारतीय पोत परविहन (Shipping) कंनयिों हेतु सब्सडिी योजना

केंद्रीय मंत्रमिडल ने भारतीय पोत परविहन (Shipping) कंनयिों को सब्सडिी प्रदान करने वाली एक योजना को मंजूरी दी है ।

[और पढ़ें](#)

महलिा एवं बाल वकिस

कशिोर न्याय (बचुओं की देखभाल एवं संरकुषण) संशोधन वधियक, 2021

कशिोर न्याय (बचुओं की देखभाल एवं संरकुषण) संशोधन वधियक, 2021 को राज्यसभा में पारति कर दयिा गया । यह वधियक कशिोर न्याय (बचुओं की देखभाल और संरकुषण) अधनियम, 2015 में संशोधन करता है ।

[और पढ़ें](#)

कृषि

नारयिल वकिस बोर्ड (संशोधन) वधियक, 2021

राज्यसभा में नारयिल वकिस बोर्ड (संशोधन) वधियक [Coconut Development Board (Amendment) Bill], 2021 को पेश कयिा गया । वधियक नारयिल वकिस बोर्ड अधनियम, 1979 में संशोधन करता है । इस अधनियम के अंतरगत नारयिल उदुयोग के वकिस के लयि नारयिल वकिस बोर्ड की स्थापना की गई है । यह वधियक बोर्ड के संयोजन में संशोधन करने का प्रयास करता है ताक उसके प्रबंधन और प्रशासन में सुधार कयिा जा सके । वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिन्लखति शामिल हैं:

- **बोर्ड का कामकाज:** अधनियम के अंतरगत बोर्ड भारत में नारयिल और उसके उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार हेतु उपायों का सुझाव दे सकता है । वधियक इस प्रावधान में यह और जोड़ता है क बोर्ड भारत के बाहर भी नारयिल एवं नारयिल उत्पादों की मार्केटिंग हेतु सुझाव दे सकता है ।
- अधनियम में बोर्ड को इस बात की अनुमति दी गई है कविह केंद्र एवं राज्य सरकारों की सलाह से उपयुक्त योजनाओं को वतितपोषति कर सकता है जसिसे नारयिल का उत्पादन बढ़े और उसकी क्वालति में सुधार हो । यह उन कृषुतुरों पर लागू होता है जहाँ नारयिल बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं । वधियक इस प्रावधान में संशोधन करता है और इस वतितपोषण का दायरा नारयिल उत्पादन करने वाले सभी राजुयों तक बढ़ाता है ।
- **प्रबंधन में परिवर्तन:** अधनियम के अंतरगत केंद्र सरकार बोर्ड के चेयरमैन को नयुिक्त करती है और चेयरमैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर भी कार्य करता है । वधियक इस पद को दो हसिसों में बाँटता है- नॉन-एक्जुीक्यूटवि चेयरमैन और CEO ।

पशुधन कषुेत्र पैकेज

केंद्रीय मंत्रमिडल ने वशिष पशुधन कषुेत्र पैकेज के अंतरगत वर्ष 2025-26 तक पशुपालन और डेयरी से संबंधति वभिनिन योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी ।

[और पढ़ें](#)

रकुषा

आवशुयक रकुषा सेवा वधियक, 2021

लोकसभा में आवशुयक रकुषा सेवा वधियक, 2021 पेश कयिा गया । यह वधियक जून 2021 को जारी कयिा गए एक अध्यादेश का स्थान लेता है ।

[और पढ़ें](#)

पर्यावरण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वधियक, 2021 को लोकसभा में पेश किया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

[और पढ़ें](#)

वधियक न्याय

अधिकरण सुधार अध्यादेश, 2021

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तों) अध्यादेश [Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance], 2021 के विभिन्न पहलुओं पर फैसला दिया है। अध्यादेश को अप्रैल 2021 में जारी किया गया था ताकि नौ ट्रिब्यूनल्स को भंग किया जा सके और उनके कार्यों को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों (उच्च न्यायालय) को हस्तांतरित किया जा सके।

[और पढ़ें](#)

97वें संशोधन के प्रावधान रद्द

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने गुजरात उच्च न्यायालय के वर्ष 2013 के फैसले को बरकरार रखते हुए [संवधान \(97वां संशोधन\) अधिनियम, 2011](#) के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

[और पढ़ें](#)

न्यायपालिका के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाएँ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को आगामी पाँच वर्षों यानी वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

[और पढ़ें](#)

MSME

खुदरा और थोक व्यापार

खुदरा और थोक व्यापार गतिविधियों को MSME विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों](#) (MSME) के रूप में वर्गीकरण के लिये पात्र गतिविधियों की सूची में वापस शामिल किया गया है। जून 2017 में इन गतिविधियों को इस सूची से बाहर कर दिया गया था। उद्यमों को वार्षिक कारोबार के समग्र मानदंड और संयंत्रों, मशीनरी या उपकरण में निवेश के आधार पर MSME के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

MSME मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि खुदरा और थोक व्यापार MSME का लाभ केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेडिग तक ही सीमित रहेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेडिग के अंतर्गत बैंकों (और कम-से-कम 20 शाखाओं वाले विदेशी बैंकों) को कृषि और MSME जैसे कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शुद्ध बैंक ऋण का 40% हिस्सा ऋण के रूप में देना आवश्यक है। सामान्य तौर पर MSME को ऋण पर ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये पूंजी सब्सिडी, बाजार विकास सहायता और वलिंबति भुगतान से संरक्षण जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।

शिक्षा

OBC और EWS के लिये आरक्षण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10% आरक्षण को मंजूरी दी।

[और पढ़ें](#)

सार्वभौमिकि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासलि करने हेतु राष्ट्रिय मशिन

राष्ट्रीय शक्ति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिकि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासलि करना है। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को कॉम्प्रहेंशन के साथ पढ़ने, लिखने, बुनियादी गणतीय क्रियाकलाप और बुनियादी जीवन कौशल सीखने में सक्षम होना चाहिये।

और पढ़ें

अकादमिकि बैंक के लिये वनियिम

वशिवविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने वशिवविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) वनियिम, 2021 को अधिसूचित किये। वनियिम एक अकादमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना करता है जो सभी पंजीकृत उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) से विद्यार्थियों के एकैडमिकि क्रेडिट का संग्रहण करने वाली एक ऑनलाइन इकाई होगी। यह एक क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को एनेबल करेगा जिसमें विद्यार्थी उनकी पसंद के समय, स्थान और सीखने के स्तर के अनुसार अपनी उच्च शैक्षिक डिग्री को प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय **हाष्ट्रीय शक्ति 2020** में ABC की स्थापना का प्रस्ताव किये गया था। एकैडमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मुख्य विशेषताओं में नमिनलिखित शामिल हैं:

- **वैधता:** पंजीकृत HEI में पाठ्यक्रम शुरू करने से प्राप्त क्रेडिट शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से एकैडमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट सेवाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे। विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट क्रेडिटिंग के बाद यह अधिकतम सात वर्षों तक वैध रहेगा। एक बार क्रेडिट का उपयोग हो जाने के बाद उन्हें विद्यार्थी के खाते से डेबिट कर दिया जाएगा।
- **ABC की उपलब्धता:** एकैडमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट नमिनलिखित के लिये उपलब्ध होगा:
 - (i) स्वयम और नपिटेल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी नरिदषिट वशिवविद्यालय में पूरण किये गए पाठ्यक्रम।
 - (ii) थयोरि, प्रैक्टिकल और दक्षता आधारित क्रेडिट कोर्स, अगर अलग-अलग प्रस्तुत किये जाते हैं।
 - (iii) कॉन्टैक्ट, नॉन-कॉन्टैक्ट और फ्यूचरसिटिकि लर्नगि मोड्स सहित सभी लर्नगि मोड्स।
- **मान्यता:** रेगुलेशंस एकैडमिकि बैंक ऑफ क्रेडिट को विद्यार्थी द्वारा चुने गए सभी पाठ्यक्रमों के लिये क्रेडिट मान्यता और क्रेडिट रीडप्शन देना अनिवार्य करते हैं। चुने गए पाठ्यक्रमों का किसी विशेष वर्ष के अंतर्गत होना ज़रूरी नहीं है। रेगुलेशंस में कहा गया है कि ABC के साथ अर्जित और जमा किये गए क्रेडिट का उपयोग संबंधित शिक्षा स्तर (प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा) के रीडप्शन के लिये किये जा सकता है।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

भारत में अक्षय ऊर्जा एकीकरण पर नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग ने 'भारत में रनियूएबलस इंटीग्रेशन' पर रिपोर्ट जारी की। रनियूएबलस इंटीग्रेशन का अर्थ होता है, मेनस्ट्रीम पावर सस्टिम में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण को शामिल करना। रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हिससे को एकीकृत करने के तरीकों का सुझाव देती है। रिपोर्ट में गौर किये गए हैं कि भारत में सोलर और वंडि एनर्जी 2030 अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासलि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी (लक्ष्य 450 गीगावाट)। मुख्य नक्षिकर्षों और सुझावों में नमिनलिखित शामिल हैं:

- **अक्षय ऊर्जा एकीकरण की चुनौतियाँ:** रिपोर्ट में भारत के राज्यों में अक्षय ऊर्जा एकीकरण को हासलि करने में नमिनलिखित मुख्य चुनौतियों को प्रस्तुत किये गए हैं:
 - (i) राज्यों के कुछ क्षेत्रों या कुछ राज्यों में सौर पवन ऊर्जा वाले स्थलों के केंद्रित होने के कारण सीमित अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन्स।
 - (ii) नए मांग स्रोतों (जैसे एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिक वाहन) से चरम मांग में वृद्धि।
 - (iii) क्षेत्रीय स्तरों पर आवृत्ति और वोल्टेज स्तरों में बढ़ता उतार-चढ़ाव।
- **पावर सस्टिम फ्लेक्सिबिलिटी:** रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य को पावर सस्टिम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिये सभी संभावित स्रोतों का फायदा उठाना चाहिये। उसका सस्टिम भी इतना कुशल होना चाहिये कि बिजली की मांग और आपूर्ति में बदलाव होने पर उत्पादन या खपत में बदलाव किये जा सकें। फ्लेक्सिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिये रिपोर्ट में मुख्य विकल्पों का सुझाव दिया गया है: (i) बैटरी स्टोरेज, (ii) स्मार्ट मीटर, (iii) मांग का पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरण (iv) अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसफर और सीमा-पारीय ट्रांसमिशन लाइनें। इसके अलावा रिपोर्ट देश में बढ़ती अक्षय ऊर्जा और लचीलेपन के समाधान की भूमिका के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये एक क्षेत्रीय स्तर मॉडल और एक राज्य स्तरीय मॉडल प्रदान करती है।